राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3771 / 2022

श्रीमती पिंकी कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमती सुनिता मीणा, अध्यापिका, ग्रेड–द्वितीय (संस्कृत) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुन्दनपुरा, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.09.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक जोशी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–द्वितीय संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुन्दनपुरा, जयपुर में कार्य कर रही थी कि प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दागोता कर दिया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर कर दिया।
3. उनका तर्क है कि अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुन्दनपुरा में कार्यरत थी, तब प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 29.04.2022 पारित कर अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बीरावता, दूदू जयपुर में अंतरिम रूप से स्थानान्तरित कर दिया तथा उक्त स्थानान्तरण अपील संख्या–4936 / 2021 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा, अंकित किया गया। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष दिनांक 29.04.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की।

अपीलार्थी की उक्त अपील पर माननीय अधिकरण ने दिनांक 19.05.2022 को अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया।

4. उनका तर्क है कि विद्यालय में संस्कृत विषय का एक पद स्वीकृत है तथा इस पर पहले से ही श्रीमती सुप्रभा शर्मा कार्य कर रही है। प्रत्यर्थी विभाग ने निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण टोंक से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुन्दनपुरा में किया है, जबकि इस विद्यालय में एक ही पद स्वीकृत है तथा इस पर श्रीमती सुप्रभा शर्मा कार्य कर रही है।
5. उनका तर्क है कि श्रीमती सुप्रभा का स्थानान्तरण अन्य जगह किया गया था और अधिकरण के आदेश पारित किये जाने के पश्चात वह उसी जगह कार्य कर रही है। इस कारण से एक स्वीकृत पद पर दो अध्यापक कार्य कर रहे है। वर्तमान में दौहरा पदस्थापन हो रखा है, फिर भी अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को स्थानान्तरित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 एवं 29.08.2022 को अपास्त फरमाया जावे।
6. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
7. अपीलार्थी स्वीकृत रूप से अधिशेष है एवं ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डागोता, जयपुर में किया गया है। उक्त आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक कारणों से जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि एवं नियम विरूद्धता नहीं है। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में अधिकरण के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)